कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या :......16........../ 2020–21

लेख्य प्रकार :....बि0 वि0 प्र0 वाद....

13.11.20

अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में किया गया। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि खाता सं0–312, गैर म0 मा0 खेसरा सं0 3515, रकबा–1.00 एकड की जमाबंदी खाता सं0–54 एवं 99 के साथ कुल 1.81 एकड कपूरा देवी पति राम किशोर प्रसाद के नाम दर्ज है। जमाबंदी का संधारण राम किशोर प्रसाद के द्वारा अपनी पत्नी कपूरा देवी को भूमि बिक्री किये जाने के उपरांत किया गया है। गै0म0मा0 खाता एवं रैयती खाता से संबंधित भूमि को किस आधार पर बिक्री की गई है इससे संबंधी दस्तावेज स्थलीय जॉच के क्रम में और न ही नोटिस देने के पश्चात् कपूरा देवी की पुत्री मंजू देवी पति राजेन्द्र लाल द्वारा उपस्थापित किया गया।

अतः मंजू देवी पति राजेन्द्र लाल को खास नोटिस निर्गत कर राम किशोर प्रसाद (पिता) के द्वारा कपूरा देवी पत्नी को गै0 म0 मा0 खाता से संबंधित भूमि किस आधार पर बिक्री की गई इससे संबंधित राजस्व दस्तावेज की मांग करें। अभिलेख दिनांक....28.11.20.......को रखें।

19/11/2020

अंचल अधिकारी
बरकट्ठा

28/11/2020

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। मंजू देवी पति राजेन्द्र लाल अनुपस्थित। गै0म0मा0 खाता सं0–312 से संबंधित खेसरा सं0–3515, रकबा–1.00 एकड का हस्तांतरण रजि0 पट्टा के माध्यम से मंजू देवी के पिता ने अपनी पत्नी कपूरा देवी को किस आधार पर किया इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के पत्रांक 1415 / रा0, दिनांक 09.10.2020 के जॉच के क्रम में भी नहीं दिया गया। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि खेसरा सं0–3515 पर कुल नौ रैयतों का 0.6488 ए0 पर दखल है। दखलकार रैयत को भी खास नोटिस देते हुए राजस्व दस्तावेज की मांग अतिक्रमण वाद दर्ज करते हुए की गई, लेकिन किसी भी रैयत ने कोई राजस्व दस्तावेज उपस्थापित नहीं की। वर्तमान में 0.0186 ए0 पर नव निर्मित ऑगनबाडी केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। 0.1926 एकड भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में किया जा रहा है। खतियानी रकबा–1.27एकड में 0.37 ए0 खाली परती पाया गया शेष 0.04 ए0 भूमि पर रामेश्वर महतो द्वारा गोबर खाद रखा गया पाया गया। मंजू देवी का वर्तमान में कही भी दखल नहीं पाया गया है। प्रश्नगत भूखंड के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक 486, दिनांक 12.11.2020 के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही को भेजा जा

Scanned by CamScanner

चुका है। उक्त पत्र में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा खेसरा सं0 3515 की जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए यथोचित कारवाई करने की अनुशंसा की गई है। गै0म0मा0 खाता से संबंधित भूमि से संबंधित 01.01.1946 से पूर्व हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज, भूतपूर्व जमींदार के नाम Form-M की प्रति तथा वर्ष 1955-56 से लगान रसीद नहीं दिखाया जाना गै0म0मा0 खाता से संबंधित भूमि का हस्तांतरण किया जाना पूर्णतः संदेहात्मक एवं लिखित रूप से भूमि का हेरा-फेरी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में खाता सं0-312 खेसरा सं0-3515 रकबा 1.00 एकड़ से संबंधित कपूरा देवी पति राम किशोर प्रसाद की जमाबंदी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख उप समाहर्ता भूमि सुधार बरही के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकार, बरही को भेजें।

अंचल अधिकारी
बरकट्ठा